फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 77 संख्याः 31 प्रभात जयपुर, मंगलवार 1 सितम्बर, 2026 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.75 रु.

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

I Divorced Zomato and Married My Hunger

The principle underneath was simple enough to change my life. I did not conquer my hunger. I stopped fighting it and started learning its language

"Ghudlo Ghumela Ji"

The World's Smallest Wild Pig Facing Extinction

तेहरान का आंतरिक सत्ता संघर्ष खत्म नहीं होने दे रहा है, ईरान-अमेरिका वॉर

ईरान में कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच सत्ता की खींचतान और ट्रंप की अटपटी बयानबाजी ने क्षेत्र में अशांति बढ़ा दी है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। अब यह तेजी से स्पष्ट होता जा रहा है कि 28 फरवरी को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई की मृत्यु के बाद से ही ईरान में सत्ता संघर्ष चल रहा है और विशेषज्ञों का मत है कि यह सत्ता संघर्ष ही ईरान और अमेरिका के बीच के युद्ध के रुकने में रुकावट बन रहा है।

अली खामेनेई की मौत से पैदा हुए सत्ता के खालीपन में उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाने की कोशिश वास्तव में सफल नहीं हुई। अली खामेनेई के उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम के ऐलान के बाद से ही वे पर्दे के पीछे रहे हैं। एक बार भी वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, ताकि अपने करीबी लोगों के दायरे से बाहर के लोगों को यह विश्वास दिला सकें कि वास्तव में वे ही फैसले ले रहे हैं।

- 28 फरवरी को अयातुल्ला खामेनेई की मृत्यु के बाद उनके पुत्र मोजतबा खामेनेई को ईरान का चीफ बनाया गया, पर इससे कोई फर्क पड़ता नहीं लग रहा है, क्योंकि मोजतबा एक बार भी सार्वजनिक रूप से नज़र नहीं आए हैं, जिससे उनके प्रति अविश्वास बढ़ रहा है।
- राष्ट्रपति पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची उदारवादी माने जाते हैं। ये लोग अमेरिका के साथ संधि वार्ता के पक्षधर हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत भी रहे हैं।
- इसके विपरीत आईआरजीसी से जुड़ा समूह युद्ध का पक्षधर है, चाहे देश की जनता को इसकी कितनी भी भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
- असल में ट्रंप के अटपटे बयानों व गैर जिम्मेदार एक्शन्स ने ऐसा माहौल तैयार किया है, जिसमें ईरान के कट्टरपंथियों को खुलकर खेलने का अवसर मिल रहा है।

सर्वोच्च नेता के स्पष्ट और प्रत्यक्ष अधिकार के अभाव में, अलग-अलग सत्ता समूह अपने प्रभाव और पोज़ीशन के लिए होड़ में हैं। वे ईरान में हालात से निपटने और आगे की कार्रवाही को लेकर एक-दूसरे से बिल्कुल अलग रास्ते सुझा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी सीएनएन की कुछ रिपोर्टों के अनुसार, जहाँ एक तरफ, वरिष्ठ नेताओं का एक अधिक परिपक्व, अनुभवी और व्यावहारिक गुट अमेरिका के साथ युद्धविराम का सुझाव दे रहा है, वहीं, दूसरी तरफ अधिक कट्टर आईआरजीसी के सदस्य और पूर्व सदस्य खून खराबे की मांग कर रहे हैं, भले ही इसके लिए देश के लोगों को कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।

अब छह महीने बीत चुके हैं और इस दौरान सत्तारूढ़ गुट के लोग अलग-अलग समय पर मोजतबा खामनेई की तरफ से बोलते रहे हैं और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों के लिए उनके समर्थन का हवाला देते रहे हैं। संसद में समूह के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने भी कई बार कुछ नीतिगत विकल्प सामने रखे रहे हैं और अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अपने पास होने का दावा किया है।

गणराज्य के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी इसी तरह अपनी राय रखी है और राज्य के अधिकार का दावा किया है। उन्होंने खुले तौर पर नरम नीति अपनाई है और युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिकियों के साथ समझौते की वकालत की है। इन सभी के बीच उनकी आवाज सबसे समझदारी भरी रही है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संजय के. अग्रवाल राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे

जयपुर, 31 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सोमवार को आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल का तबादला राजस्थान हाईकोर्ट करने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही, उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस (सी.जे.) के पद पर पदोन्नत भी किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठम न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी को जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट का सीजे बनाया गया है।

- राजस्थान हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश पुष्पेन्द्र सिंह भाटी जम्मू-कश्मीर के चीफ जस्टिस बनेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'हमारे झंडे और देश का अपमान मत करो, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी'

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादियों द्वारा भारतीय झंडे को पैरों के नीचे रखने और फाड़ने पर कड़ी चेतावनी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उन प्रदर्शनकारियों और खालिस्तानी समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने शनिवार को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर पैर रखे और उसे फाड़ दिया। उस समय वहां लोग आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन सुनने के लिए एकत्र हुए थे।

केन्द्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीतिक असहमति ठीक है, लेकिन देश का अपमान स्वीकार्य नहीं है।

रिजिजू ने पोस्ट में कहा, "हमने हमेशा कहा है कि आपको आरएसएस, भाजपा या सरकार की आलोचना करने की आज़ादी है, लेकिन हमारे देश का अपमान मत करो। ध्यान से सुनिए, हमारे झंडे और मेरे देश का अपमान मत कीजिए। इसकी आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।"

- शनिवार को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मोहन भागवत की सभा होनी थी, वहाँ बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग उपस्थित थे, तब खालिस्तानी उग्रवादियों ने यह हरकत की थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि जब खालिस्तानी उग्रवादी भारतीय झंडे को अपमानित कर रहे थे, तब स्थानीय पुलिस निष्क्रिय खड़ी देख रही थी।

उन्होंने इस संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें एक व्यक्ति अपने पैर को हिला रहा था और उसके पैर के चारों ओर राष्ट्रीय ध्वज बंधा हुआ था। अन्य प्रदर्शनकारी, खालिस्तानी समर्थकों द्वारा आमतौर पर लगाए जाने वाले नारे लगा रहे थे। दर्जनों कैमरों के सामने उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ दिया और हंसते रहे, जबकि स्थानीय पुलिस देखती रही।

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अमेरिका के अधिकारियों से प्रदर्शनकारियों की पहचान करने और उनके पिछले रिकॉर्ड की जांच करने की अपील की। उन्होंने केन्द्र सरकार से यह भी देखने को कहा कि क्या प्रदर्शनकारियों में कोई भारतीय नागरिक था, जिसके खिलाफ भारत में कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

यह हंगामा भाजपा के वैचारिक मार्गदर्शक आरएसएस द्वारा अपने शताब्दी वर्ष के अवसर पर समर्थकों के साथ आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। भागवत इस समय विश्व के दौरे पर हैं और अमेरिका, कैनडा और ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं।

पीटीआई भर्ती फर्ज़ीवाड़े में सरकार हाईकोर्ट में कब जवाब देगी?

गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुए इस फर्ज़ीवाड़े पर 7 जनवरी 2025 को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 अगस्त। शारीरिक शिक्षक (पी.टी.आई.) भर्ती-2022 में धांधली और फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने वाले लोगों के खिलाफ दायर 40 एफ.आई.आर. पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज 1 सितंबर को सुनवाई होगी। ज्ञात रहे कि इस प्रकरण में 7 जनवरी 2025 को राज्य सरकार और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड को हाईकोर्ट से नोटिस जारी किए जा चुके हैं, परंतु करीब डेढ़ साल बाद भी सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया है, जबकि 6 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट ने अंतिम चेतावनी दी थी कि 4 सप्ताह यानी 1 माह में अपना जवाब पेश करें। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रेमाराम गोलिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी.सिंह पैरवी के लिए पेश होंगे। यह प्रकरण न्यायाधीश समीर जैन के समक्ष सूचीबद्ध है।

- हाईकोर्ट ने 6 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी दी थी कि 4 सप्ताह यानि कि 1 माह में अपना जवाब पेश करे
- याचिकाकर्ता का कहना है कि, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी खुद माना है कि करीब 1502 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनके दस्तावेज सत्यापन में धांधली पाई गई है। इनमें से 1259 अभ्यर्थियों का डेटा तो पूरी तरह से मेल नहीं खा रहा है। इसके बावजूद भी 1502 लोगों को नियुक्तियां दी गई हैं।

ज्ञात रहे कि याचिकाकर्ता ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार द्वारा इस भर्ती को रद्द नहीं किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी, साथ ही फर्जी दस्तावेजों और धांधली से नौकरी पाने वाले करीब 2000 लोगों को बर्खास्त करने की गुहार लगायी थी। गहलोत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भीलवाड़ा में अवैध खनन पर एनजीटी ने नोटिस जारी किए

भीलवाड़ा/जयपुर, 31 अगस्त। भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा तहसील में चंद्रभागा नदी में कथित अवैध एवं अनियंत्रित रेत खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की केन्द्रीय क्षेत्रीय पीठ, भोपाल ने संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति श्यो कुमार सिंह और विशेषज्ञ सदस्य सुधीर कुमार चतुर्वेदी की पीठ ने की।

- सहाड़ा तहसील में चंद्रभागा नदी के अवैध व अनियंत्रित खनन पर कलैक्टर भीलवाड़ा तथा दो अन्य से 6 सप्ताह में रिपोर्ट मांगी।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि चंद्रभागा नदी में भारी मशीनों से दिन-रात रेत खनन किया जा रहा है। निर्धारित सीमा से अधिक खनन,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ओबीसी का मुद्दा यूपी में भाजपा को असहज स्थिति में ला सकता है

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना में तकनीकी खामी की शिकायत कर राजनैतिक बम फोड़ा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का 'सेमीफाइनल' माना जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी राजनीति, जातीय जनगणना और आरक्षण को कांग्रेस के चुनावी अभियान के केन्द्र में ला दिया है।

समय का चुनाव सोचा-समझा है। उत्तर प्रदेश, लोकसभा में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे अधिक सांसद भेजता है और लखनऊ पर जिसका नियंत्रण होता है, वही अगले आम चुनाव की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करता है।

राहुल गांधी के ताजा हमले के केन्द्र में एक तकनीकी दिखने वाली, लेकिन राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण आपत्ति है: इस समय चल रही राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी के लिए अलग से कोई कॉलम नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि यह कोई भूल नहीं, बल्कि इसे सोच-समझकर कमज़ोर करने का प्रयास है। पार्टी ने प्रश्नावली में ओबीसी के लिए अलग कॉलम न होने को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए सरकार पर जातीय जनगणना की कवायद को कमज़ोर करने का आरोप लगाया है।

- राहुल गांधी ने शिकायत की है कि अभी जो जातिगत जनगणना चल रही है, उसमें ओबीसी का कॉलम नहीं है। राहुल ने कहा, यह कोई भूल नहीं, बल्कि ओबीसी को कमज़ोर करने का सोचा-समझा प्रयास है।
- यह आपत्ति भाजपा को असहज कर सकती है। क्योंकि वर्षों तक जातीय जनगणना की मांग का विरोध करने के बाद मोदी सरकार ने जातीय जनगणना करवाने की मंजूरी दी है, पर अब इसके तरीके को लेकर संदेह बढ़ रहा है।

यह आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज समय पर आई है। वर्षों तक जातीय जनगणना की मांग का विरोध करने के बाद, मोदी सरकार ने रुख बदलते हुए, विलंबित दशकीय जनगणना के साथ जातीय गणना कराने पर सहमति दी। कांग्रेस के लिए सरकार की यह सहमति इस बात का प्रमाण थी कि लगातार दबाव कारगर रहा। लेकिन सिद्धांत की लड़ाई जीतने के बाद, अब कांग्रेस इसके तरीके को लेकर सवाल उठा रही है।

राहुल गांधी ने मंडल दौर की राजनीति में गहरी जड़ें रखने वाले नारे को फिर से सामने रखा है, "जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व।" कांग्रेस ने इसे मौजूदा राजनीतिक संदर्भ में नए तरीके से पेश किया है। पार्टी सटीक जातीय गणना की मांग को, वास्तविक आंकड़े सामने आने के बाद, आरक्षण की 50 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47 लाख मतदाता डिलीट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। दिल्ली की ड्राफ्ट मतदाता सूची सोमवार को जारी कर दी गई। राजधानी के कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47.7 लाख मतदाताओं के नाम प्रारूप सूची से बाहर

- दिल्ली में कुल 1.45 करोड़ मतदाता हैं। इनमें से 47.7 लाख वोटर्स के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ये लोग 30 सितम्बर तक फॉर्म 6 भरकर और जरूरी दस्तावेज़ पेश कर नाम जुड़वा सकते हैं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

न्यायाधीश एस पी शर्मा का प्रकरण जोधपुर बार बनाम जयपुर बार का विवाद बना

सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 31 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा पर "प्रशासनिक शक्तियों" का कथित दुरूपयोग करने का आरोप लगाते हुए, जो तीन पत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को भेजे थे, उनको लेकर सोमवार को हाईकोर्ट में नया बवाल खड़ा हो गया। इस प्रकरण में जोधपुर और जयपुर के वकीलों में मतभेद है और दोनों एक दूसरे से असहमत हैं।

सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की अदालत नं. 2 के बाहर वकीलों के एक गुट ने प्रदर्शन किया , जिसके चलते अदालत में सुनवाई नहीं हुई, परंतु जयपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ न तो कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की और न कोई बयान दिया। यहां तक कि राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष राजीव सोगरवाल ने मीडिया में यह बयान दिया कि " जो तीन पत्र उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को लिखे गये... इसको लेकर पूरे वकील समुदाय में भारी असंतोष है। वकीलों में असंतोष है कि प्रक्रिया से न्यायपालिका की और वकीलों की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।"

- सोमवार को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा और न्यायाधीश संगीता शर्मा की अदालत नं. 2 के बाहर वकीलों के एक गुट ने प्रदर्शन किया, जिसे जयुपर बार एसोसिएशन की सहमति प्राप्त नहीं थी।
- इस प्रदर्शन के बाद एस.पी. शर्मा ने हाईकोर्ट के रोस्टर में बदलाव किया है और स्वयं को न्यायिक कार्यों से अलग कर लिया है।

अधिवक्ता राजीव सोगरवाल ने कि "क्या इस मामले को (मीडिया द्वारा) सार्वजनिक किये बिना इसका निस्तारण नहीं किया जा सकता था? पत्र में लगाये गये आरोपों का क्या स्तर था?" उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इसकी त्वरित जांच करानी चाहिए और मामले की तह तक जाना चाहिए, इस तरह मीडिया द्वारा आरोपों को सार्वजनिक किये जाने की वजह से केवल न्यायापालिका और वकीलों की छवि को धूमिल किया जा रहा है। ऐसी ही भावना अन्य कुछ वकीलों ने भी प्रकट की और केवल यही बोला कि "ऐसोसिएशन से जुड़े वकील एकजुट हैं और एक साथ ही काम करेंगे।"

दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा पर "प्रशासनिक शक्तियों का कथित दुरूपयोग करने तथा मामलों की लिस्टिंग की प्रक्रिया में कथित हस्तक्षेप, पक्षपात" इत्यादि के आरोप लगाये गये हैं। इस विषय पर मीटिंग करने के बाद एसोसिएशन ने तीन सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति से जारी किया है, जिसमें पहली मांग है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को "न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों से विरत रखा जाए", "राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थायी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाए", तथा "टार्गेटेड फाइल सिस्टम को बंद किया जाए।" जोधपुर स्थित लॉयर्स एसोसिएशन ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी कहा कि अधिवक्ता 6 सितम्बर 2026 तक स्वैच्छिक हड़ताल पर रहेंगे, इस दौरान न तो न्यायिक कार्य करेंगे और न अदालत में उपस्थित होंगे। आगामी रणनीति पर संघर्ष समिति निर्णय लेगी।

उल्लेखनीय है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट में जज के तौर पर नियुक्त होने से पूर्व जयपुर में एक सक्रिय व वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर कार्य करते थे। वहीं, न्यायाधीश संदीप मेहता जोधपुर के जाने-माने व वरिष्ठ अधिवक्ता थे।

सोमवार को जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में हुए प्रदर्शन के बाद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी. शर्मा ने हाईकोर्ट के रोस्टर में बदलाव किया है और स्वयं को न्यायिक कार्यों से अलग कर लिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के कोलीजियम ने बयान जारी किया है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज संजय के. अग्रवाल राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर किये जा रहे हैं और वे ही राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभालेंगे।

सीजेपी के दिल्ली मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 31 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के 5 सितंबर को प्रस्तावित दिल्ली मार्च पर रोक लगाने या उसे सीमित करने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि अधिकारियों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।

- सीजेपी ने 5 सितम्बर को दिल्ली मार्च का आह्वान किया है। यह मार्च केन्द्र सरकार द्वारा 25 जुलाई को किए गए वादे पूरे नहीं करने के विरोध में किया जा रहा है।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)